रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265143
CG-DL-E-31072025-265143

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947
No. 472] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 515(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 को, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में आशुलिपिक श्रेणी 'घ'(समूह – ग पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, आशुलिपिक श्रेणी 'घ' (समूह – ग पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता. —**वह व्यक्ति, **—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी 'घ'।	**06*(2025)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 से 81100 रू.)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से **12**वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य,	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(ii) कौशल परीक्षण मानदंड: **श्रुतलेख: 10** मिनट अंग्रेजी या हिंदी में **@80** शब्द प्रति मिनट **कंप्यूटर पर प्रतिलेखन:** 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिंदी) **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, अभ्यर्थी जो हिंदी में आशुलिपि परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें नियुक्ति के पश्चात अंग्रेजी आशुलिपि सीखनी अपेक्षित होगी और अभ्यर्थी जो अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें नियुक्ति के पश्चात हिंदी आशुलिपि सीखनी अपेक्षित होगी। **टिप्पण 2:** परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षण के माध्यम को विचार में लाए बिना, अभ्यर्थियों को कार्यालय की कार्यात्मक अपेक्षा के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी आशुलिपिक के रूप में कार्य करना होगा । **टिप्पण 3:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद की प्रतिशत्ता |	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |**
(10)	**(11)**
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता |

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना |	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |**
(12)	**(13)**
समूह 'ग'- विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक (प्रशासन)या उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य; 3. किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से नामनिर्देशिती अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। - सदस्य |	लागू नहीं होता |

टिप्पण: जहां ऊपर क्रम संख्या 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, वहां मंत्रालय के भीतर या अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक समूह-क अधिकारी को भी विभागीय पुष्टि समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	

[फा. सं. 4/1/2024-प्रशासन]

मुकेश कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2025

G.S.R. 515(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Condition of Service) Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Stenographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade 'D' (Group-'C' post) in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Stenographer Grade 'D' (Group-'C' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. —**The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications. —** No person, —

(a) who has entered into or contracted marrieage with a person having a spouse living: or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marrieage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Stenographer Grade 'D'.	**06*** (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix (Rs.25500 to 81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University, (ii) Skill Test norms: **Dictation**: 10 minutes @ 80 words per minute in English or Hindi **Transcription on Computer**: 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi) **Note 1:** Candidates who opt to take the Stenography Test in Hindi shall be required to learn English Stenography and vice versa after their appointment, for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government. **Note 2**: Candidates have to work as English or Hindi stenographers as per the functional requirement of the office irrespective of the medium of Skill Test of candidates during the examination. **Note 3**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commissions is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C'- Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Additional Secretary or Joint Secretary or Director (Admn.) or Deputy Secretary (Admn), Ministry of Parliamentary Affairs - Chairperson; 2. Under Secretary(Admn.), Ministry of Parliamentary Affairs - Member; 3. Nominee of other Ministry or Department of the rank of Under Secretary or above - Member. **Note**: Where none of the members at serial number 1 to 3 above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group-'A' officer from either within the Ministry or from other Ministry or Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Confirmation Committee.	Not applicable.

[F. No. 4/1/2024-Admn.]

MUKESH KUMAR, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.31 22:09:55 +05'30'